भजनलाल सरकार ने विधानसभा में 6.10 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया

उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 10 संकल्पों में पढ़ा सरकार का विजन

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में 6.10 लाख करोड़ रुपए का तीसरा आम बजट 10 संकल्पों में पेश किया। करीब 2 घंटे 54 मिनट के बजट भाषण में दीया कुमारी ने 8वें वेतन आयोग के लिए हाईपावर कमेटी बनाने, किसानों को 25 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन देने, मेधावी छात्रों को 20 हजार रु. का ई-वाऊचर, परीक्षाओं के लिए नई टेस्टिंग एजेंसी, स्कूली बच्चों को खेल किट और जादुई पिटारा देने का ऐलान किया। इसके साथ ही प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने तथा असहाय, विमंदित, लावारिस मरीजों के फ्री इलाज की घोषणा की। बजट में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में अब कर्ज की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रु. किया। होमगार्ड्स के 5 हजार पद भी बढ़ाए गए है।

राज्य सरकार ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ का बजट आकार प्रस्तावित किया है। जो कि पिछले बजट से 52 हजार 360 करोड़ रु. ज्यादा है। बजट प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2026-27 में कुल राजस्व प्राप्तियां 5 लाख 25 हजार 740 करोड़ 34 लाख रुपये रहने का अनुमान है। वहीं, राजस्व व्यय 3 लाख 50 हजार 50 करोड़ 54 लाख 7 हजार रुपये आंका गया है। सरकार ने वित्तीय संतुलन बनाए रखने पर जोर देते हुए राजकोषीय घाटा 79 हजार 492 करोड़ 52 लाख रुपये रहने का अनुमान जताया है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.69 प्रतिशत होगा। आर्थिक प्रगति के संकेत देते हुए राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2026-27 में 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है।

वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि, सरकारी कर्मचारी की मौत पर उसकी पुत्रवधु को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। कर्मचारी अगर सरकारी नौकरी में रहते हुए स्थायी दिव्यांग हो जाता है और वह नौकरी करने में असमर्थ है तो आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। उन्होंने जलदाय विभाग में 3 हजार संविदा कर्मियों की नियुक्ति की घोषणा की गई है। साथ ही नई जल नीति लाने का भी ऐलान किया गया। करीब 6500 गांवों को हर घर नल हर घर जल योजना से जोड़ा जाएगा।

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में राज्य सरकार 1800 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें और ब्रिज बनाएगी। इसके साथ ही 4 जिलों में एयरपोर्ट बनाने के लिए सर्वे भी किया जाएगा। अगले साल 15 नए रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज भी बनाए जाएंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 30 हजार युवाओं को 10 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन देगी। झींगा पालने वाले किसानों को सस्ती बिजली भी दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदने पर टैक्स में छूट का भी ऐलान किया है।

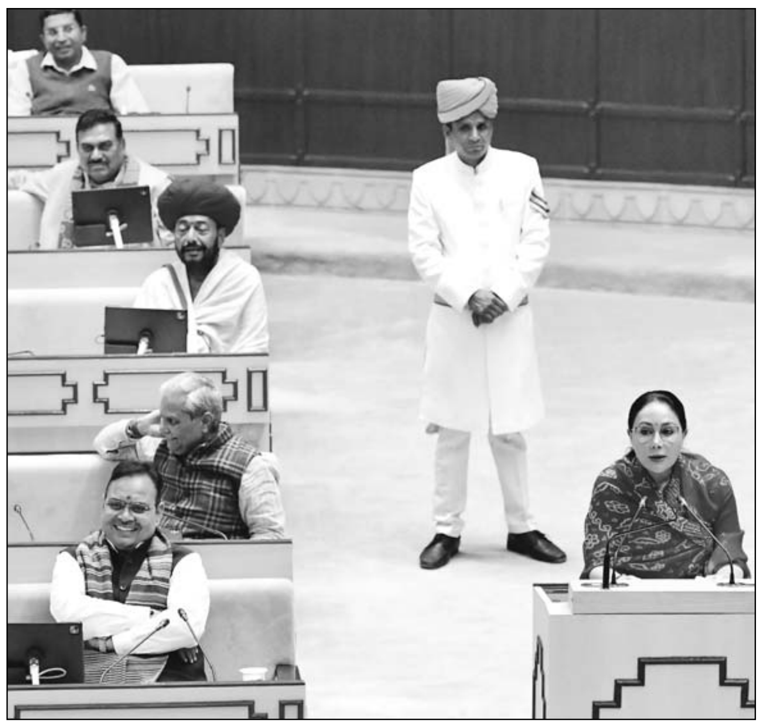

उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में राज्य सरकार का वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर विपक्ष पर तंज कसा, जिस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत सत्ता पक्ष ने ठहाके लगाए।

- **8वें वेतन आयोग के लिए हाई पावर कमेटी गठन, किसानों को 25 हजार करोड़ रु. का ब्याज मुक्त ऋण तथा लावारिस-विमंदितों के मुफ्त इलाज की घोषणा**
- **मेधावी विद्यार्थियों को 20 हजार रु. का ई-वाऊचर तथा स्कूली बच्चों के लिए जादुई पिटारे की घोषणा**
- **महिला वर्ग को साधने के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में अब कर्ज की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपए की**

देखा जाए तो 8वें वेतन आयोग के लिए हाई पावर कमेटी की घोषणा के साथ राज्य सरकार ने प्रदेश के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को साधने की कोशिश की है।

इसी तरह किसानों को 25 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा से मार्च-अप्रैल में होने वाले पंचायत चुनावों से पहले एक बड़े वर्ग को साधने का प्रयास है।

मेधावी विद्यार्थियों को 20 हजार रुपए का ई-वाऊचर देने से भी इन तमाम परिवारों के बीच सरकार की पॉजिटिव ब्रांडिंग पहुंचाने की कोशिश है। वहीं स्कूली बच्चों के लिए जादुई पिटारा लोगों के लिए कौतूहल व चर्चा का विषय छोड दिया है। इसी प्रकार बजट में लखपति दीदी योजना में ऋण सीमा 1 लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए करने से भी महिला वर्ग को साधने का प्रयास है।

राजस्थान बजट में क्या सस्ता-क्या महंगा

स्टांप ड्यूटी पर सरचार्ज 3 फीसदी बढ़ा; डी.एल.सी. दरें भी बदली

- **हालांकि दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदने पर टैक्स में छूट मिलेगी**
- **सरकार ने लोन डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन शुल्क आधा किया**
- **फार्म हाउस की जमीन की रजिस्ट्री करवाना महंगा हुआ**

जयपुर (विसं)। राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में स्टाम्प पेपर पर लगने वाले सरचार्ज को 3 फीसदी बढ़ा दिया है। इस निर्णय का असर सीधे तौर पर स्टाम्प पेपर खरीदने पर देखने को मिलेगा। यही नहीं सरकार ने कुछ अलग-अलग कैटेगिरी की जमीनों की डीएलसी दरों में भी बदलाव करते हुए पूरे प्रदेश में एक समान दर लागू करने का आदेश जारी किया है। इन दोनों ही निर्णय से अचल सम्पत्तियों की रजिस्ट्री भी महंगी होगी।

बजट में सरकार ने बैंक या दूसरी वित्तीय संस्थाओं से लिए जाने वाले लोन या ऋण के लिए तैयार होने वाले डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले चार्ज को भी आधा कर दिया है। अभी तक ऐसे डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन की फीस 1 फीसदी लगती थी, लेकिन इसे कम करके आधी यानी 0.5 फीसदी कर दिया है। साथ ही इसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए निर्धारित कर दी है। यानी अगर 0.5 फीसदी चार्ज की राशि 1 लाख रुपए से ज्यादा बनती है तो सरकार केवल 1 लाख रुपए ही लेगी। इसी तरह इन डॉक्यूमेंट पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को भी 0.25 फीसदी से आधा यानी (0.125 फीसदी) कर दिया है। वहीं इसकी अधिकतम सीमा को भी 15 लाख रुपए से घटाकर 10 लाख रुपए कर दिया है।

सरकार ने अब फार्म हाउस की जमीन की आरक्षित दरों (डी.एल.सी. रेट) में भी बढ़ोतरी की है। सरकार पहले फार्म हाउस की जमीन का बाजार मूल्य वहां की एग्रीकल्चर जमीन की दर 1.5 गुना मानते हुए रजिस्ट्री करती थी। लेकिन फार्म हाउस की जमीन का बाजार मूल्य एग्रीकल्चर जमीन का 3 गुना मानते हुए रजिस्ट्री की जाएगी।

इसी तरह कोई रिसोर्ट की जमीन की रजिस्ट्री करवाता है तो पहले रिसोर्ट की जमीन का बाजार मूल्य वहां की कृषि भूमि का 2 गुना रेट मानकर करते थे, लेकिन अब ये दर वहां की कॉमर्शियल रेट का 75 फीसदी रेट मानकर रजिस्ट्री की जाएगी।बजट में सरकार ने दूसरे राज्य से गाड़ी (प्राइवेट व्हीकल) स्थायी रूप से लाने पर उसके रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले टैक्स पर छूट दी है। वर्तमान में इस तरह की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर मोटर व्हीकल टैक्स अलग-अलग वाहनों (क्षमता के अनुसार) पर अलग-अलग दर से लगता है, जिस पर सरकार अभी 25 फीसदी तक छूट देती है। सरकार अब ऐसी गाड़ियों पर लगने वाले टैक्स पर दी जाने वाली छूट को 25 से बढ़ाकर 50 फीसदी तक करने की घोषणा की है।

पतंजलि शहद पर शोध प्रकाशित

हरिद्वार। पतंजलि अपने प्रत्येक उत्पाद में गुणवत्ता, शुद्धता और उपभोक्ता सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इस प्रतिबद्धता को एक और सशक्त वैज्ञानिक मान्यता उस समय मिली, जब पतंजलि शहद पर किया गया विस्तृत शोध विश्वप्रसिद्ध "एल्सवियर" प्रकाशन के प्रतिष्ठित रिसर्च जर्नल "एप्लाइड फूड रिसर्च" में प्रकाशित हुआ। इस अवसर पर आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि पतंजलि जो कहता है, वही करता है और यह एक शाश्वत सत्य है। पतंजलि का उद्देश्य है इस देश को मिलावट के जहर से बचाना और पतंजलि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सदा ही समर्पित है। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य उत्पादों को लेकर लंबे समय से वैश्विक मंच पर संदेह की दृष्टि से देखा जाता रहा है, किंतु अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित इस शोध द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि भारत में भी विश्वस्तरीय अनुसंधान संभव है। यह उपलब्धि न केवल पतंजलि के लिए, बल्कि समूचे भारतीय उद्योग के लिए गर्व का विषय है।

कार्यालय, नगरपालिका मण्डल, बीदासर (चूरू) राज0
E-Mail :nagarpalikabidasar@gmail.com Phone No. : 01560 – 262028
क्रमांक–नपाबी / 2025–26 / 3535 दिनांक–05.02.2026

ई–निविदा सूचना सख्यां 10/2025–26

नगरपालिका बीदासर में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत निम्नलिखित निर्माण कार्यो के लिये नियमों के अन्तर्गत नगर निगम बीकानेर/ नगरपालिका बीदासर में पंजीकृत व अन्य विभागों के 'A' एवं 'AA' श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्यूरमेन्ट प्रकिया से निविदा से कार्यो हेतु ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा कार्य दिनांक 05.02.2026 को 17:00 बजे से तथा दिनांक 19.02.2026 समय 18.00 बजे तक ऑनलाईन निविदा जमा करवाई जा सकती है। निविदा शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट http://www.eprco.rajasthan.gov.in, http://www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

NIB Code- DLB2526B1314 UBN NO.- DLB2526WSOB33367
अधिशाषी अधिकारी
राज.संवाद / सी / 25 / 19568 नगरपालिका,बीदासर

कार्यालय, नगरपालिका मण्डल, बीदासर (चूरू) राज0
E-Mail :nagarpalikabidasar@gmail.com Phone No. : 01560 – 262028
क्रमांक–नपाबी / 2025–26 / 3542 दिनांक–05.02.2026

ई–निविदा सूचना सख्यां 11/2025–26

नगरपालिका बीदासर में निम्नलिखित सप्लाई / सेवा / निर्माण कार्यो के लिये नियमों के अन्तर्गत नगर निगम बीकानेर/ नगरपालिका बीदासर में पंजीकृत व अन्य विभागों के 'A' एवं 'AA' श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्यूरमेन्ट प्रकिया से निविदा से कार्यो हेतु ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा कार्य दिनांक 05.02.2026 को 17:00 बजे से तथा दिनांक 17.02.2026 समय 18.00 बजे तक ऑनलाईन निविदा जमा करवाई जा सकती है। निविदा शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट http://www.eprco.rajasthan.gov.in, http://www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

NIB Code- DLB2526B1332

UBN NO.- DLB2526WSRC33386 UBN NO.- DLB2526WSRC33388
UBN NO.- DLB2526WSRC33389 UBN NO.- DLB2526WSRC33390
UBN NO.- DLB2526WSRC33392 UBN NO.- DLB2526WSRC33393
UBN NO.- DLB2526WSRC33394 UBN NO.- DLB2526WSRC33395
UBN NO.- DLB2526WSRC33396 UBN NO.- DLB2526WSRC33397
UBN NO.- DLB2526WSRC33398 UBN NO.- DLB2526WSRC33399
UBN NO.- DLB2526WSRC33400 UBN NO.- DLB2526WSRC33401

अध्यक्ष अधिशाषी अधिकारी
राज.संवाद / सी / 25 / 19567 नगरपालिका,बीदासर नगरपालिका,बीदासर

बजट प्रदेश की जनता पर डबल इंजन सरकार का दोहरा कुठाराघात : पायलट

सचिन पायलट

- **सचिन पायलट ने कहा कि "पहले केन्द्रीय बजट में राजस्थान की अनदेखी हुई, अब राज्य सरकार ने भी लोगों की उम्मीद पर पानी फेर दिया है।"**
- **पायलट ने कहा कि "हाईकोट में सरकार ने हफलनामे के माध्यम से स्वीकार किया था कि प्रदेश की स्कूलों की मरम्मत के लिए 21 हजार करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन बजट में मात्र 500 करोड़ रु. का प्रावधान दिखाता है कि सरकार को विद्यार्थियों की सुरक्षा की चिंता नहीं है।"**

जयपुर (कासं)। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राजस्थान की भाजपा सरकार द्वारा बुधवार को विधानसभा में प्रस्तुत बजट को निराशाजनक बताया। पायलट ने कहा कि पहले केन्द्रीय बजट में भाजपा सरकार द्वारा राजस्थान की अनदेखी की गई और अब राज्य सरकार ने अपने बजट के माध्यम से किसानों, युवाओं, महिलाओं, मध्यम वर्ग की आशाओं पर पानी फेर दिया है। पायलट ने कहा कि झालावाड़ की स्कूल में हुए हादसे पर संज्ञान लेते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और सरकार हफलनामे के माध्यम से यह स्वीकार भी किया था कि प्रदेश की स्कूलों की मरम्मत के लिए 21 हजार करोड़ रूपयों की आवश्यकता है। बावजूद इसके राज्य बजट में मात्र 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जाना यह बताता है कि राज्य सरकार को विद्यार्थियों की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है।

'व्यापारियों व उद्योगों के लिए नई दिशा'

जयपुर। फैडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एण्ड इंडस्ट्री (फोर्टी) के कार्यकारी अध्यक्ष तथा भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. अरूण अग्रवाल ने राजस्थान सरकार के बजट को व्यापारियों व उद्योगों को नई दिशा देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट में व्यापारियों के लिए एकल खिड़की प्रणाली, व्यापार प्रोत्साहन नीति, और लॉजिस्टिक्स पार्क जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। इनसे व्यापार करना आसान होगा और व्यापारियों को नए अवसर प्राप्त होंगे। बजट में उद्योगों के लिए फ्लैटेड फैक्ट्री व्यवस्था, औद्योगिक क्षेत्र, और विशेष औद्योगिक पार्क जैसी घोषणाएँ की गई हैं। इन घोषणाओं से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पर्यटन स्थलों के विकास व प्रचार, स्थानीय कला-संस्कृति को बढ़ावा देने, पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन, किसानों के लिए नई तकनीकों व संसाधनों के प्रावधान सराहनीय है।

सीकर और झुंझुनूं में एयरपोर्ट का सर्वे, अरावली के किनारे बनेगी पक्की दीवार

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान के बजट में वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि अरावली पर्वतमाला का एक बड़ा हिस्सा जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर तथा उदयपुर में आता है। करीब 130 करोड़ रुपए की लागत से अरावली पर्वतमाला की करीब 4 हजार हैक्टेयर भूमि की जगह पर पक्की दीवार बनाई जाएगी। प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री किया जाएगा। दिया कुमारी ने बजट में घोषणा की है कि, प्रदेश के सैनिक, पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और वीरांगनाओं को सभी सुविधाएं एक स्थान पर उपलब्ध हो सकें, इसके लिए जोधपुर, शेरगढ़, टोंक, फलोदी, खैरथल, ब्यावर, झुंझुनूं और श्रीगंगानगर में वॉर म्यूजियम, इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। पहले चरण में जोधपुर, शेरगढ़, झुंझुनूं और टोंक में 36 करोड़ की लागत से इन कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाएगा।

सीकर और झुंझुनूं में नए एयरपोर्ट के लिए सर्वे की घोषणा की गई है। 8 जिलों में 3000 करोड़ रुपए की लागत से मिनी सचिवालय बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने शेखावाटी के लिए यमुना जल परियोजना का काम जल्द शुरू होने की घोषणा की है। इस परियोजना पर 32000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

'दो साल में 20 प्रतिशत घोषणाएं पूरी, 30 फीसदी शुरू भी नहीं हुई'

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार के तीसरे बजट को पूरी तरह नीरस और निराशाजनक करार देते हुए कहा कि सरकार घोषणाओं तक सीमित है, जमीनी क्रियान्वयन बेहद कमजोर है। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में सरकार ने 2718 बजट घोषणाएं कीं, जिनमें से केवल 20 प्रतिशत ही पूरी हो पाई हैं। 30 प्रतिशत घोषणाएं अब तक शुरू नहीं हुईं, जबकि 40 प्रतिशत पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार 2047 के सपने दिखा रही है, जबकि वर्तमान समस्याओं की सुध लेने को तैयार नहीं है। रिफाइनरी शुरू करने की पूर्व घोषणा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि तय समयसीमा बीत जाने के बाद भी काम आगे नहीं बढ़ा। बजट में मेंटल हेल्थ चेकअप सेंटर की घोषणा पर जूली ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार को पहले अपना मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण कराना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी नीतियों से कर्मचारी और आमजन परेशान हैं। प्रदेश में रोज हादसे हो रहे हैं, जो सिस्टम की लापरवाही और खराब सडकों का परिणाम हैं। आंगनबाड़ कार्यकर्ताओं के लिए की गई घोषणाओं को भी उन्होंने 'जादू के पिटारे' जैसा बताया। जूली ने 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि सरकार बताए कि ये आंकड़े किस आधार पर तय किए गए हैं। सरकार ने दो वर्षों में ही प्रदेश को भारी कर्ज में डुबो दिया है। 1000 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, विभिन्न परियोजनाओं और निवेश के दावों पर भी उन्होंने स्पष्ट जवाब मांगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बजट को इतिहास का सबसे नीरस बजट बताया। उन्होंने कहा कि स्कूल मरम्मत के लिए 21 हजार करोड़ की आवश्यकता के मुकाबले मात्र 550 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 31/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री ओम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री परतु राम निवासी वार्ड नं. 29 होटल बस स्टैण्ड के सामने देवीपुरा सीकर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत अन्नपूर्णा मेडिकल प्रशिक्षण संस्थान सीकर के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 30.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 06.04.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 34/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री राजेन्द्र मोदी पुत्र श्री भंवर लाल मोदी निवासी दधिमती मार्ग राजेश टिम्बर मार्ट बजाज रोड सीकर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत अनुपमा मेडिकल प्रशिक्षण संस्थान दधिमति मार्ग बजाज रोड सीकर के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 30.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 07.04.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, राजगढ़ (चूरू)

E-Mail Address-eonp.sdlp@yahoo.in Fax &Phone: 01559-222039

क्रमांक - न.पा.रा./ताभीर / 2025-26/7601 दिनांक :- 11/02/26

आपति सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित आवेदकों द्वारा पट्टा नामान्तरण / भवन निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। जिस किसी व्यक्ति को इस सबंध में आपति हो वह विज्ञिप्त प्रकाशन के सात दिवस में नगर पालिका कार्यालय में लिखित में पेश कर देवें। सम्पूर्ण जानकारी के लिए नगरपालिका राजगढ़ (चूरू) की पट्टा नामान्तरण / भवन निर्माण शाखा कमरा नं. 02 से पता करें। समयावधि निकलने के पश्चात आपति विचारानीय नहीं होगी। विवरण निम्नानुसार हैः-

पट्टा नामांतरण				
1	824/17.07.2025	श्रीमती अमीना पत्नी गोसिन खान, वार्ड नं. 22, मोहल्ला नरड़ियान, राजगढ़, चूरू	आवासीय	16.81 वर्गमीटर
2	729/04.12.2024	श्री दिनेश शर्मा पुत्र श्री मदनलाल शर्मा, वार्ड नं. 07 मौहल्ला भगवानी देवी हास्पिटल के पास कोठारी बिल्डिंग, राजगढ़, चूरू	आवासीय	21.92 वर्गमीटर
3.	867-1/16.12.2025	श्री हबिब सुलेमान पुत्र श्री सुलेमान, वार्ड नं. 19, मौहल्ला सोनी हास्पीटल के पास, राजगढ़, चूरू	आवासीय	32.22 वर्गमीटर
4	858-1/12.11.2024	श्री नरेन्द्र गोयल पुत्र श्री सुरेश गोयल, वार्ड नं. 11 मौहल्ला शिव बगीची के पास, राजगढ़, चूरू	आवासीय	141.92 वर्गमीटर
5	911/22.01.2026	श्री सन्दीप सोनी पुत्र श्री अन्तराम सोनी, श्रीमती नेहा पत्नी श्री नेहा पत्नी श्री प्रितम सिंह, वार्ड नं. 09 मौहल्ला मौहता चौक. राजगढ़, चूरू	आवासीय	67.82 वर्गमीटर
6.	705/21.10.2024	श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री नन्द किशोर, वार्ड नं. 15 मौहल्ला मुरली मनोहर मन्दिर के पास, राजगढ़, चूरू	आवासीय	66.23 वर्गमीटर
7	693/07.10.2025	श्रीमती जैतुन पत्नी श्री सराजुदीन, वार्ड नं. 31 मौहल्ला लुदीबास, शीतला बाजार, राजगढ़, चूरू	आवासीय	18.59 वर्गमीटर
8.	914/09.02.2026	श्रीमती फूलवती पुनियां पत्नी श्री रणवीर सिंह, वार्ड नं. 10 मौहल्ला बागवास, राजगढ़, चूरू	आवासीय	27.58 वर्गमीटर
9.	915/09.02.2026	श्री राजकुमार पुत्र श्री दरियां सिंह, वार्ड नं. 18 मौहल्ला पिलानी मोड़ के पास, राजगढ़, चूरू	आवासीय	37.15 वर्गमीटर
10.	905/30.12.2025	श्री पवन मुदगल पुत्र श्री प्रेम प्रकाश, वार्ड नं. 14 नया 09 मौहल्ला गण्गौर चौक के पास, राजगढ़, चूरू	आवासीय	81.75 वर्गमीटर
भवन निर्माण स्वीकृति				
1.	709/29.12.2025	श्री रामावतार सोनी पुत्र श्री बनवारी लाल सोनी, वार्ड नं. 17 नया 21. मौहल्ला सोनी हारपीटल के पास, राजगढ़, चूरू	आवासीय	70.60 वर्गमीटर
2.	636/11.02.2025	श्रीमती प्रीतमा पत्नी श्री संतोष कुमार व नेहा जैन पत्नी श्री अजय कुमार कोचर, वार्ड 14 हाल वार्ड 10, मोहल्ला रेल्वे स्टेशन के पास, राजगढ़, चूरू	आवासीय	89.18 वर्गमीटर
3.	705/16.12.2025	श्री हबिब सुलेमान पुत्र श्री सुलेमान, वार्ड नं. 19, मौहल्ला सोनी हास्पीटल के पास, राजगढ़, चूरू	आवासीय	32.22 वर्गमीटर
4.	715/09.02.2026	श्रीमती फूलवती पुनियां पत्नी श्री रणवीर सिंह, वार्ड नं. 10 मौहल्ला बागवास, राजगढ़, चूरू	आवासीय	27.58 वर्गमीटर
5.	716/09.02.2026	श्री राजेन्द्र व राकेश पुत्रगण श्री धर्मपाल, वार्ड 11. मोहल्ला विद्युत विभाग के पास, राजगढ़, चूरू	आवासीय	23.22 वर्गमीटर
6.	717/09.02.2026	श्री चन्दन सिंह पुत्र इन्द्राज सहारण, वार्ड 10, मोहल्ला रेल्वे स्टेशन के पास, राजगढ़, चूरू	व्यवसायिक (3rd Floor)	68.95 वर्गमीटर

(कृष्ण कुमार छाबा)
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका राजगढ़ (चूरू)